

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-17/विविध-01-32/2025

पटना, दिनांक :- / /2026

राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत निम्नांकित बॉण्ड से आच्छादित चिकित्सकों को कॉलम-06 में अंकित प्रयोजन हेतु विभागीय आदेश संख्या-914(1) दिनांक-06.10.2020-सह-पठित-शुद्धि पत्र संख्या-915(1) दिनांक-10.10.2020 में निहित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि नामांकन नहीं होने अथवा चयनोपरान्त अध्ययन अवकाश पूर्ण करने के तत्काल बाद अनिवार्य बॉण्ड सेवा पूर्ण करेंगे :-

क्र० सं०	नाम	जन्म तिथि	प्रथम/वर्तमान नियुक्ति का पत्रांक एवं दिनांक	वर्तमान पदस्थापित चिकित्सा संस्थान/ डिप्लोमा/डी०एन०बी० डिप्लोमा उत्तीर्ण संस्थान का नाम	अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
01	Monika	22.06.1995		Patna Medical College, Patna	NBEMS - PDCET-2026 के अंतर्गत Radiology हेतु
02	Ritik Verma	04.02.1997		Patna Medical College, Patna	NBEMS - PDCET-2026 के अंतर्गत Radiology हेतु
03	Pranjali Kumari	20.12.1993		Patna Medical College, Patna	NBEMS - PDCET-2026 के अंतर्गत Radiology हेतु
04	Shahid Hussain Ansari	04.02.1997		Patna Medical College, Patna	NBEMS - PDCET-2026 के अंतर्गत Radiology हेतु
05	Suryakant Singh	09.08.1996		Patna Medical College, Patna	NBEMS - PDCET-2026 के अंतर्गत Respiratory Medicine हेतु
06	Dudekula Harshiya Bhanu	09.04.1995	705(17) 12.08.2024	New Gardiner Road Superspeciality Hospital, Patna	NBEMS - PDCET-2026 के अंतर्गत Paediatrics हेतु

2. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक तथा संबंधित चिकित्सा संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी उपर्युक्त आदेश में निहित शर्तों के आलोक में संबंधित चिकित्सक से उच्चतर पाठ्यक्रम हेतु आवंटित संस्थान का साक्ष्य एवं शपथ-पत्र प्राप्त कर उच्चतर पाठ्यक्रम करने के लिए ही अग्रतः कार्यवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

3. बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सक विभागीय आदेश सं०-178(17), दिनांक-07.02.2026 के आलोक में उच्चतर अध्ययनोपरान्त/टेन्योर अवधि पूर्ण करने के उपरान्त स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में योगदान करेंगे।

4. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

~

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० सं०-17 विविध-01-32/2025 739(17)

पटना, दिनांक :- 01/7/2026

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित बॉण्ड चिकित्सकों/सिविल सर्जन, बिहार/संबंधित चिकित्सा संस्थानों के अधीक्षक/उपाधीक्षक/ निदेशक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-17) प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 03 एवं 09 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

~
विशेष कार्य पदाधिकारी।
Hks